न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

1

आपराधिक प्रक0क्र0 28/16

संस्थित दिनाँक-20.01.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

रिंकू उर्फ करतारसिंह पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 23 साल, निवासी जैतपुर रोड, गली नं0 5, विष्णुनगर बानमोर, थाना बानमोर

.....अभियुक्त

## <u> —ः निर्णय ःः—</u>

## (आज दिनांक 01.02.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337 दो काउण्ट एवं 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.16 को करीब 8:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जैतपुरा के आगे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक आर0जे0—11 जी0ए0—2063 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, दिनेश के आधिपत्य की स्कार्पियों में टक्कर मारी जिससे दिनेश व उसमें बैठे सोनू को साधारण उपहित कारित हुई तथा सोनू को अस्थिभंग होकर घोर उपहित कारित हुई।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी दिनेश कांकर दिनांक 15.01.2016 को ग्वालियर से भिण्ड स्कार्पियो नंबर एम0पी0-07 सी0ए0-8085 से जा रहे थे जिसे उनका चालक सोनूपाल चला रहा था। जैसे ही उनकी कार राजमार्ग पर जैतपुरा के आगे पहुंची तभी भिण्ड तरफ से एक कंटेनर क0 आर0जे0-11 जी0ए0-2063 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने से कार में टक्कर मार दी जिससे फरियादी को माथे, दायी आंख, ठोडी पर चोट आई, चालक सोनू के माथे, दाए हाथ की उंगली तथा छाती में चोट आई। उन्हें एम्बुलेंस से गोहद अस्पताल लाया गया, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना की रिपोर्ट अप0क0-10/16 पर पंजीबद्ध की गयी। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, नक्शामौका बनाया गया। वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.01.16 को करीब 8:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जैतपुरा के आगे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक आर0जे0—11 जी0ए0—2063 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक व समय पर आहत दिनेश व सोनू के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त वाहन में टक्कर मारकर दिनेश व सोनू को क्रमशः साधारण व घोर उपहति कारित की ?

## <u>–ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में दिनेश कांकर अ०सा० 1, सोनू अ०सा० 2 डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3, श्यामसुंदर शर्मा अ०सा० 4, लोकेन्द्र अ०सा० 5 व रामकरन शर्मा अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 6. फरियादी दिनेश कांकर अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना जनवरी माह की सुबह सात बजे की है। वे ग्वालियर से भिण्ड स्कार्पियो नंबर एम0पी0—07 सी0ए0—8085 से जा रहे थे जिसे चालक सोनू चला रहा था। बिरखडी के पहले रैपुरा पुलिया के पास भिण्ड की तरफ से एक कंटेनर का चालक लापरवाही से आया और ओवरटेक करने के लिए निकाला तो उसकी गाडी में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद साक्षी बेहोश हो जाना और किसी के द्वारा एम्बुलैंस बुलाकर उन लोगों को अस्पताल ले जाना बताता है। साक्षी उसे माथे, चेहरे, ठोडी तथा चालक की छाती व शरीर में चोट आना बताते हैं। साक्षी अस्पताल में होश आने के बाद थाना गोहद चौराहे पर रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन करते हैं कि उन्होंने कंटेनर का नंबर रिपोर्ट में नहीं लिखाया और न बता सकते हैं क्योंकि वे बेहोश हो गए थे। साक्षी पुलिस को रिपोर्ट के अलावा अन्य कथन दिए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं फरियादी द्वारा प्र0पी0 1 के तथ्यों का समर्थन न किया जाना प्रथम दृष्ट्या अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को संदेहास्पद करता है।
- 7. प्रकरण में साक्षी सोनू अ0सा0 2 जो कि आहत भी है, वह कथन करता है कि जनवरी की सुबह 7—7:30 बजे ग्वालियर से भिण्ड स्कार्पियो नंबर एम0पी0—07 सी0ए0—8085 को चलाकर जा रहा था जिसमें उनके मालिक दिनेश कांकर भी थे। बिरखडी से पहले रैपुरा के पास भिण्ड की तरफ से एक कंटेनर द्वारा लापरवाही से आकर ओवरटेक करने के लिए निकालकर उसकी गाडी में टक्कर मार दी थी। यह साक्षी भी दुर्घटना में बेहोश हो जाने और किसी के द्वारा एम्बुलैंस बुलाकर गोहद अस्पताल लाने का कथन करते हैं। रिपोर्ट दिनेश कांकर द्वारा लिखाए जाने और स्वयं का कोई बयान पुलिस को न दिए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में दोनों आहतगण द्वारा अभिकथित दुर्घटना में कौनसे नंबर के वाहन द्वारा किस चालक द्वारा चलाकर उनकी स्कार्पियो कार में टक्कर मारी, इसका

मुख्य परीक्षण में कथन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से दोनों साक्षियें को पक्षद्रोही घोषित कर उनसे सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी ने कंटेनर नंबर आर0जे0—11 जी0ए0—2063 के द्वारा उनकी गाडी में टक्कर मारने के तथ्य से इंकार किया गया है। दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में उनके पुलिस कथन कमशः प्र0पी0 3 व 4 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग के तथ्य लिखाए जाने से इंकार करते हैं। फरियादी दिनेश अ0सा0 1 सूचक प्रश्नों में रिपोर्ट प्र0पी0 1 में बी से बी भाग पर कंटेनर का नंबर लिखाए जाने से इंकार करते हैं।

- 8. प्रकरण में घटना का साक्षी लोकेन्द्रसिंह अ०सा० 5 भी बताया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में उसके सामने कोई भी एक्सीडेंट कारित होने के संबंध में इंकार करता है। पुलिस द्वारा यह साक्षी कोई भी कथन लिए जाने से इंकार करता है। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी द्वारा उसके पुलिस कथन प्र०पी० 9 के संपूर्ण ए से ए भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। प्रकरण में फरियादी दिनेश अ०सा० 1 रिपोर्ट प्र०पी० 1 पुलिस द्वारा लिखे जाने के समय उसके सिर में चोट होने के कारण पढ़कर न देखने और होश में न होने के समय हस्ताक्षर किए जाने से सही से हस्ताक्षर न बन पाने का कथन किया गया है। आहत सोनू अ०सा० 2 भी उसके प्रतिपरीक्षण में कथित कंटेनर के चालक को घटना के समय न देख पाना बताते हैं। ऐसे में घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण आहतगण एवं चक्षुदर्शी किसी भी साक्षी ने दुर्घटना में कंटेनर नंबर आर०जे०—11 जी०ए०—2०६३ की संलिप्तता के संबंध में कथन नहीं किया गया है और सुझाव दिए जाने पर भी उक्त नंबर के वाहन से टक्कर होने के तथ्य से इंकार किया गया है।
- 9. प्रकरण में श्यामसुंदर शर्मा अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे थाना गोहद चौराहे में कंटेनर नंबर 2063 को छुडाने गए थे और यह भी कथन करते हैं कि वे स्वास्तिक रोडिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्हें गाडी छुडाने के लिए भेजा गया था, प्रमाणीकरण प्र०पी० 8 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं किन्तु दिनांक 15.01.16 को उक्त कंटेनर को कौन चला रहा था, इस संबंध में कोई निश्चित कथन करने में अस्मर्थ हैं। साक्षी यह बताते हैं कि कंपनी में कई चालक है इसलिए उन्हें पता नहीं है। साक्षी सूचक प्रश्नों में दिनांक 15.01.16 को कंटेनर कमांक आर0जे0—11 जी०ए०—2063 को अभियुक्त रिंकू द्वारा चलाए जाने के तथ्य का सुझाव दिया गया तो साक्षी द्वारा इंकार किया गया। प्रकरण में प्र०पी० 8 के दस्तावेज प्रमाणीकरण पर अपने हस्ताक्षर को साक्षी स्वीकार करता है। इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं हैं कि उक्त कंटेनर से कोई एक्सीडेंट हुआ तो ऐसी दशा में उक्त कंटेनर के चालक के रूप में अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित नहीं हैं।
- 10. प्रकरण में फरियादी दिनेश अ०सा०1, सोनू अ०सा० 2, लोकेन्द्र अ०सा० 5 सभी के द्वारा उनके पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 3, 4 व 9 लिखाए जाने से इंकार किया है। फरियादी दिनेश अ०सा० 1 ने रिपोर्ट प्र०पी० 1 में उक्त कंटेनर नंबर आर०जे०—11 जी०ए०—2063 नंबर लिखाए जाने से स्पष्ट

इंकार किया है। इस प्रकार से सर्वोत्तम साक्षियों के कथनों एवं अभियोजन दस्तावेजों में सारवान विरोधाभास व लोप विद्यमान हैं। यह स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टान्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

- 11. प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3 द्वारा दिनांक 15.01.16 को आहत सोनू एवं दिनेश कांकर का परीक्षण करने पर शरीर में चोटें पाए जाने तथा आहत सोनू का एक्सरे परीक्षण करने पर उसे बांए बखा तथा बांए तरफ की तीसरी व चौथी पसली टूटी हुई पाए जाने का कथन करते हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी० 5 व 6 तथा एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 7 के रूप में बताकर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से आहतगण की चोटों के संबंध में आहतगण को कोई चुनौती नहीं दी गयी है ऐसे में यह तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि के आधार पर प्रमाणित है कि दिनांक 15.01.16 को आहतगण दिनेश एवं सोनू के शरीर पर चोटें मौजूद थी जिसमें सोनू को अस्थिभंग भी मौजूद था।
- 12. प्रकरण में आहतगण के शरीर पर चोटें होना अवश्य प्रमाणित है किन्तु उक्त चोटें आहतगण को किस वाहन के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर टक्कर मारकर कारित की गयी, इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।
- 13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.01.16 को करीब 8:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जैतपुरा के आगे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक आर0जे0—11 जी0ए0—2063 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, दिनेश के आधिपत्य की स्कार्पियों में

टक्कर मारी जिससे दिनेश व उसमें बैठे सोनू को साधारण उपहित कारित हुई तथा सोनू को अस्थिमंग होकर घोर उपहित कारित हुई। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337 दो काउण्ट व 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 15. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

